कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून– 248001
फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2713724

सख्याः 546 /XXV–(1–8)/2008 देहरादूनः दिनाक 12 फरवरी, 2019.

सेवा में,

श्री भाष्कर चन्द्र,
उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी
तल्ली बमौरी, नवाबी रोड,
हल्द्वानी (नैनीताल)

विषयः– **सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गयी सूचना के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 05.02.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सन्दर्भित सूचना उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था। उक्त संबंध में निम्नानुसार सूचना प्रेषित की जा रही है।

बिन्दु संख्या–01	उक्त सूचना कार्यालय में धारित नही है।
बिन्दु संख्या–02	अधिकारियों के स्थानान्तरण संबंधी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में इस कार्यालय द्वारा जारी दिशा–निर्देशों संबंधितों का कार्यालय पत्र संख्या– 416 दिनांक 04 फरवरी, 2019 द्वारा प्रेषित किया गया है (जिसकी प्रति संलग्न प्रेषित है।)

संलग्न–यथोपरि। (कुल 09 पृष्ठ)

यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैः–

विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़,
सचिवालय परिसर, देहरादून।

भवदीय,

B.S.Rawat
(बी0एस0रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

rti 2019

प्राप्त
11/2/19

सेवा में,

(1) श्रीमान लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत
भारत का निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, नई दिल्ली।

(2) लोक सूचना अधिकारी कार्यालय मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय भवन देहरादून।

✓(3) लोक सूचना अधिकारी कार्यालय सचिव निर्वाचन
उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय भवन देहरादून।

(4) लोक सूचना अधिकारी, प्रमुख सचिव कार्मिक
उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय भवन देहरादून।

विषय- आवेदन अन्तर्गत सूचना अधिकार अधिनियम 2005.

महोदय,

प्रार्थी 10 रू0 आवेदन शुल्क प्रस्तुत करके निम्न सूचना चाहता है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

1. प्रार्थी द्वारा 29.01.2019 को प्रेषित पत्र जिसका विषय लोकसभा चुनाव 2019 की आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले उत्तराखण्ड राज्य के नैनीताल जिले के विभिन्न विभागों जैसे लो.नि.वि., शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग, वन विभाग, विद्युत विभाग, श्रम विभाग इत्यादि में 3 वर्षो से अधिक समय से जमे पड़े कार्मिकों को चिन्हित करके तत्काल गढ़वाल मण्डल स्थानान्तरित करने विषयक प्रत्यावेदन पर पारित आदेश, टिप्पणी, जाँच रिपोर्ट, व प्रकरण पर अन्तिम निर्णय की प्रमाणित प्रति प्रदान करायी जाय।
2. यह कि आदर्श चुनाव आचार संहिता 2019 लागू होने से पहले नैनीताल जिले में कई वर्षो से जमे पड़े अधिकारियों व कर्मचारियों को अन्यत्र मण्डल में स्थानान्तरित करने के संदर्भ में निर्वाचन आयोग व उत्तराखण्ड सरकार व आपके कार्यालय द्वारा की गयी व की जा रही कार्यवाही की सम्पूर्ण सूचना प्रदान की जाय व कार्मिकों के स्थानान्तरण आदेशों की प्रति दी जाय।

A-RO I K
11-2-2019
S.O/P.I.O

दिनांक-05.02.2019

आवेदक

(भाष्कर चन्द्र)
उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी
तल्ली बमौरी नवाबी रोड, हल्द्वानी (नैनीताल)